6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Admn/F-2/31/2018/Vol-I/1343 दिनांक: 09.02.2021

<u>परिपत्र</u> -11/2021

विषय: बोली सुरक्षा/बयाना राशि जमा और प्रदर्शन सुरक्षा

महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वाणिज्यिक संस्थाओं और ठेकेदारों को तीव्र वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनेकानेक अनुरोधों को प्राप्त करने के बाद व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 12 नवंबर, 2020 के कार्यालय आदेश सं. F.9/4/2020-PPD, 2020 के द्वारा भारत सरकार के निर्णयों को निम्नानुसार सूचित किया है:

बोली सुरक्षा / बयाना राशि जमा

यह बताया गया है कि जीएफआर 2017 के नियम 171 या क्रय नियमावली में निहित किसी भी अन्य नियम या प्रावधान के बावजूद, बोली सुरक्षा के बारे में कोई प्रावधान भविष्य में बोली दस्तावेजों में नहीं रखा जाना चाहिए और केवल "बोली सुरक्षा घोषणा" के लिए प्रावधान बोली दस्तावेजों में रखा जाना चाहिए।

जहाँ भी, बोली सुरक्षा मांगने के आवश्यक परिस्थितियाँ में, निविदा को केवल अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्देश दिनांक **31.12.2021** तक जारी किए जाने वाले सभी निविदाओं के लिए लागू होंगे।

प्रदर्शन सुरक्षा

दिनांक 31.12.2021 तक जारी/पूर्ण होने वाले सभी मौजूदा अनुबंध और निविदाएं/अनुबंध के प्रदर्शन सुरक्षा की दर को मौजूदा 5% -10% से घटाकर निविदा के मूल्य का 3% करने का निर्णय लिया गया है।

सभी अनुबंधों में 3% की कम प्रदर्शन सुरक्षा प्रतिशत के साथ प्रवेश किया जाएं, प्रदर्शन सुरक्षा में दिनांक 31.12.2021 के बाद भी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मौजूदा विश्वविद्यालय नीति के अनुसार, रु 1,00,000 रुपये से कम की खरीद के लिए कोई प्रदर्शन सुरक्षा नहीं होगी।

उपरोक्त निर्देश जीआरएफ़ 2017 के नियम 6 (1) के तहत जारी की जाने वाली सभी प्रकार की क्रय जैसे: वस्तु, परामर्शी सेवाएं, कार्य, गैर-परामर्शी सेवाएं आदि पर लागू होगा।

नवल किशोर पासवान

(प्रो.एन.के. पासवान)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव (प्रभारी)
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव (प्रभारी)
4. परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी)
5. पुस्तकालयाध्यक्ष के निजी सचिव
6. डीन, सभी विद्यापीठ और डीन, छात्र कल्याण
7. अध्यक्ष/प्रभारी, सभी विभाग
8. आंतरिक लेखा अधिकारी
9. अभियांत्रिक प्रकोष्ठ
10. ई-टेंडर प्रकोष्ठ
11. विश्वविद्यालय वैबसाइट में परिपत्र को अपलोड करने हेतु वैबसाइट समिति को अनुरोध
12. सभी सूचना पट्ट
13. सुरक्षा फ़ाइल